time of transmission by the transmitting telegraph office and receipt of message by the receipient telegraph office and also the approximate time of delivery with a view to detecting official delays in the transmission of telegrams?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) No, Sir. The time taken for transmission of a telegram does not depend on the distance but on the number of transit stages. In case of telegrams from rural areas, the number of transists are generally more.

(b) Yes, Sir.

(c) The system of indicating these timings exists in the telegraph offices.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राइवेट पार्टियों से गोदाम किराये पर लिया जाना

*373. श्री बाबवेन्द्र दत्त :
श्री श्याम लाल दुबे :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने प्राइवेट क्षेत्र से गोदाम किराये पर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो गोदामों को किराये पर लेने की प्रक्रिया और शर्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये के रूप में प्रति वर्ष कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के संदर्भ में यथावश्यक हद तक गैर-सरकारी क्षेत्र से गोदाम किराये पर लिये है ।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) 1977-78 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने गैर-सरकारी पार्टियो और राज्य सरकार से किराये पर ली गई क्षमता के लिए, 914.89 लाख रुपये के वार्षिक किराये का भुगतान किया है ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम दो तरीकों से गोदामों को किराये पर लेता है । वह गैर-सरकारी पार्टियों से विशेष अवधि के लिए बने-बनाए गोदाम किराये पर लेता है और इस अवधि का नवीकरण भी किया जा सकता है । ऐसे गोदामों का किराया स्थानीय बाजार में चल रही दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

2. भारतीय खाद्य निगम ने एक योजना भी शुरू की है जिसके अधीन गैर-सरकारी पार्टियों को भारतीय खाद्य निगम की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप गोदामो का निर्माण करने और निगम को 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिए गारण्टीबद्ध अधिभोग के आधार पर किराये पर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन योजनाओ की मुख्य-मुख्य शर्तें नीचे दी जाती हैं :—

(क) गैर-सरकारी पार्टियो आदि द्वारा 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिए गारण्टी बद्ध अधिभोग के आधार पर निगम को किराये पर देने के लिए भारतीय खाद्य निगम की विनिर्दिष्टियो के अनुरूप गोदामो का निर्माण करना होता है ।

(ख) ऐसे मामलों में किराया सीमा ग्रामीण क्षेत्रो के बारे मे 40 पैसे प्रति वर्ग फीट प्रति मास और शहरी क्षेत्रो के बारे में 50 पैसे प्रति वर्ग फीट प्रति मास होती है ।

Multinational and Big Companies engaged in Sea Fishing

*375. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND REHABILITATION AND IRRIGATION be pleased to lay a statement showing:

(a) the names of the multinational and other big companies engaged in sea-fishing in the country;

(b) the value of fish exported by them during 1977 and 1978; and

(c) the value of trawlers imported by them?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.